न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 189 /2021

2021/437

वादी :–

पपसिंह पुत्र आईदान सिंह

जाति राजपूत निवासी कालाथल

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

भगसिंह, भैरूसिंह पि० आईदानसिंह

जाति राजपूत नि० कालाथल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री पपसिंह स्वंय वादी।
2..श्री भगसिंह, भैरूसिंह प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत ~~खसरा~~ खाता नं 80 कुल रकबा 191-10 बीघा, सरहद मौजा कालाथल तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम नरपतसिंह होने से राजस्व रेकर्ड में नरपतसिंह दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम पपसिंह पुत्र आईदानसिंह दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज नरपतसिंह के स्थान पर पपसिंह सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:15 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

Scanned by TapScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ....नरपतसिंह........ के स्थान पर ....पपसिंह........ दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ....तहसीलदार पचपदरा तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत ~~खसरा~~ खाता नं ....80 कुल........ रकबा ....191-10........ बीघा, सरहद मौजा कालाथल तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम नरपतसिंह दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम पंचायत ~~तहसील~~ एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम नरपतसिंह दर्ज किया गया है वादी का सही नाम पपसिंह है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत ~~खसरा~~ खाता नं ....80 ....कुल रकबा ....191-10........ बीघा, सरहद मौजा ....कालाथल ......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....नरपतसिंह........ पुत्र ....आईदानसिंह........ के स्थान पर ....पपसिंह........ पुत्र आईदानसिंह खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ....30-10-2021 **को कोर्ट केम्प कोर्ट** ....ओ......... **में मजमे आम में सुनाया गया।**

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:13:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner